શ્રીમતી લીલાબાઈ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1406/III/14 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.5.2014	यह निगरानी तहसीलदार राहतगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 2245/13-14 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 2-4-14 से परिवेदित होकर म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	

2/ आवेदिका के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा तहसीलदार के आदेश दिनांक 2-4-14 का अवलोकन किया।

3/ विद्वान अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने एंव तहसीलदार के आदेश दिनांक 2-4-14 के अवलोकन से पाया गया कि तहसील न्यायालय में मौजा सेमरा शिला स्थित आराजी कमांक 16/1 एंव 190/5 कुल किता 2 कुल रकबा 3.025 हैक्टर पर खड़ी फसल को जप्त किये जाने हेतु प्रकरण उभय पक्ष के बीच चला है जिसमें उभय पक्ष को श्रवण कर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 2-4-14 से इस प्रकार निर्णय लिया है :-

"अतएव सभी तथ्यों तथा अना० के लिखित बहस के तथ्यों के आधार पर यह मामला इसी-स्तर पर समाप्त किया जाता है।"

4/ उपरोक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार का आदेश अंतरिम न होकर अंतिम आदेश है, जिसके विरूद्व आवेदिका को अपील का उपचार प्राप्त है। आवेदिका इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील कर सकती है। आवेदिका

द्वारा अनुभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर हितबद्ध पक्षकारों को श्रवण उपरांत अपील का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया जावे।

5/ उक्त कारणों से राजस्व मण्डल में निगरानी पुनर्वाई योग्य न होने अमान्य की जाती है। पक्षकार दीप करें। प्रकरण अंक से कम करके रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य